न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 19/2021

1. शिवभगवान पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी सकराय तहसील व जिला सीकर
2. इन्द्रा कुमारी पुत्री नरसाराम जाति गुर्जर निवासीनी देवलानाडा, चेनपुरा तहसील व जिला सीकर
3. देवीलाल गुर्जर पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी रेटा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अपीलाण्टस–

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत श्यामगढ पंचायत समिति पिपराली तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार, सीकर
3. मामराज पुत्र नाथूराम जाति खटीक निवासी श्यामगढ हाल आबाद वार्ड नं. 18 खाजूवाला बीकानेर जिला बिकानेर
4. श्रीमति कश्मीरा पत्नी रामेश्वर जाति खटीक निवासी श्यामगढ हाल आबाद 514 हट्स एच.एम.बी ज्वालापूरी वेस्ट देल्ही
5. श्रीमति कान्ता पत्नी महावीर जाति खटीक निवासी श्यामगढ तहसील व जिला सीकर
6. सुखराम पुत्र नाथूराम जाति खटीक निवासी श्यामगढ हाल आबाद वार्ड नं. 18 राजीव नगर खाजूवाला बीकानेर जिला बिकानेर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील विरूद्व नामा० संख्या 610/20.2.2021 ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा निरस्त

उपस्थित – वकील अपीलाण्टस– श्री मोहनसिंह मूण्ड
वकील रेस्पोडेण्ट –

निर्णय

दिनांक : 21.09.2022

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरूद्व नामा० संख्या 610/20.2.2021 ग्राम पंचायत श्यामगढ के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 452, 453, 454 किता 3 रकबा 1.1900 है० वाके ग्राम श्यामगढ

तहसील व जिला सीकर अवस्थित है जिसकों अपीलाण्टस ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.2.2021 को खरीद लिया था। जिसका विधिवत रूप से नामा0 प्रपत्र संख्या 21 क्र.सं. 610 दिनांक 20.2.21 को भरा जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की बैठक में पेश किया गया था। जिसको बिना किसी आधार , मौका स्थिति के विरूद्व जाकर दिनांक 22.3.2021 को खारिज कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टस की खरीदशुदा भूमि जिसको कि प्रतिफल देकर क्रय किया गया है को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये नामा0 खारिज कर दिया गया । अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेज व राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा नामा0 सही और सही अध्ययन व जांच पड़ताल कर प्रस्तुत किया गया था जिसे बिना जांच पड़ताल किये ही मनमाने ढंग से रेस्पो0 सं0 1 ने खारिज कर दिया। अपीलाण्टस ने अपनी वैध निजी पारिवारिक आवश्कताओं की पूर्ती हैतु जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.6.2021 को रेस्पो0 सं. 3 ता 6 को विक्रय कर दिया । जिसका अपीलाधीन नामा0 खारिज होने से उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने पर उक्त नामा0 की जानकारी हुई। कोविड महामारी होने के कारण नामा0 पेश करने में देरी हुई जिस बाबत अवधि अधिनियम का आवेदन अलग से पेश किया गया है। अतः आवेदन दफा 5 स्वीकार किया जाकर नामा0 सं. 610 दिनांक 20.2.2021 के बाबत ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट्स के पक्ष में स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेण्टस संख्या 3 ता 6 के पक्ष में नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस अनुपस्थित रहे। प्रशासन गांवो के संग 2021 कैम्प श्यामगढ में ग्राम पंचायत से नामा0 से संबधित रिकार्ड तलब किया गया जो जरिये क्रमांक 5 दिनांक 12.11.2021 को उपलब्ध करवाया गया ।

बहस वकील अपीलाण्टस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । जमाबंदी सम्वत 2075–78 वाके ग्राम श्यामगढ के अनुसार खसरा नम्बर 452, 453 व 454 की खातेदारी कै0 विक्रम कुमार पुत्र वी. प्रभा के नाम दर्ज है। खातेदार द्वारा उक्त भूमि का जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र विक्रय अपीलाण्टस को कर दिया गया । रिकार्ड ग्राम पंचायत के अनुसार जिसका नामा0 संख्या 610 ग्राम पंचायत श्यामगढ द्वारा दिनांक 20.2.2021 को मौके पर कब्जा मालीराम पुत्र नाथुराम, मालीराम पुत्र सुखराम जाति खटीक का कब्जा काश्त हाने के कारण खारिज कर दिया गया । उसके पश्चात अपीलाण्टस् द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्टस को जरिये

21/09/2021
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.6.2021 को कर दिया गया। उपर्युक्त दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्टस् द्वारा भूमि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा मौके के कब्जे के आधार पर उक्त नामा0 खारिज कर दिया गया जबकि मौके पर काबिज व्यक्तियों द्वारा अपने हक अधिकार की उद्घोषणा के लिये सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विक्रीत की गई भूमि जो अपीलाण्टस् द्वारा उचित प्रतिफल देकर क्रय की गई है। बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधिनस्थ ग्राम पंचायत को नामा0 खारिज करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 विधि विरूद्व खारिज किया गया है । इस दौरान अपीलाण्टस् द्वारा विवादित भूमियों को जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3 ता 6 को विक्रय कर दिया गया । जिसका नामा0 पूर्व नामा0 संख्या 610 के निस्तारण के बिना कानूनन नहीं दर्ज किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 610 / 20.2.2021 ग्राम पंचायत श्यामगढ तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार मौके एवं रिकार्ड की जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर विक्रयपत्रों को कन्सीडर करते हुऐ नामा0 की कार्यवाही करें। की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 21/09/22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

21/09/2022

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर